

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
अयोध्या।

सेवा में,

सचिव
राज्य स्तरीय पर्यावरण संघात निर्धारण प्राधिकरण
उ०प्र० लखनऊ डॉ० भीमराव अंबेडकर पर्यावरण परिसर
विनीत खण्ड-1, गोमती नगर,
लखनऊ।

पत्रांक 4062 / तीस उपखनिज / डी०एस०आर / 2020

दिनांक 30.11.2020

विषय :- जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि वर्तमान में जनपद अयोध्या में दीर्घकालीन खनन पट्टा अवधि 05 वर्ष हेतु नियमानुसार 01 नये खनन क्षेत्र चिन्हित किये गये हैं। नये चिन्हित खनन क्षेत्र हेतु वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त है। उक्त नये खनन क्षेत्र को खनन परिहार पर उठाये जाने हेतु डी०एस०आर० (जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट) में सम्मिलित किया जाना है। चिन्हित खनन क्षेत्र का विवरण निम्नवत् है:-

क्र०सं०	तहसील	ग्राम/बालू खनन क्षेत्र	गाटा सं०	क्षेत्रफल (हे० में)	उप खनिज का नाम	खनन योग्य मात्रा प्रतिवर्ष (घनमी० में)
1	रुदौली	सराय नासिर बरई	2घ 1, 2, 613	2.5000	साधारण बालू	50,000

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार 01 नये चिन्हित खनन क्षेत्र को डी०एस०आर० (जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट) में संशोधनोपरान्त सम्मिलित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक : दीर्घकालीन खनन पट्टा हेतु चिन्हित खनन क्षेत्र
की सूची।

भवदीय

(अनुज कुमार झा)
जिलाधिकारी
अयोध्या।

संख्या 4062 / तीस उपखनिज / डी०एस०आर / 2019-20 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सचिव उ०प्र० शासन भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग लखनऊ।
- 2- निदेशक पर्यावरण निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ।
- 3- निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र० खनिज भवन, लखनऊ।
- 4- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी अयोध्या को जिले की वेबसाइट पर अवलोड करने हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी
अयोध्या।